भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1021

दिनांक 04.03.2015/13 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में इसके सदस्यों के रुप में विशेषज्ञों को शामिल किया जाना

1021. श्री एस० थंगावेलु :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को सुदृढ़ करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार एन.डी.एम.ए. में इसके सदस्यों के रुप में विशेषज्ञों को शामिल करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू)

(क) : राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को सुदृढ़ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) : उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) : सरकार ने पहले ही एनडीएमए के सदस्यों के रूप में निम्नलिखित विशेषज्ञों को शामिल कर लिया है:

i. **डॉ. डी.एन. शर्मा**
ii. **श्री कमल किशोर**
iii. **लेफ्टिनेंट जनरल एन.सी. मारवाह, पीवीएसएम, एवीएसएम (सेवानिवृत्त)**

(घ) : डॉ. डी. एन. शर्मा स्वास्थ्य सुरक्षा एवं पर्यावरण समूह, भाभा आणविक अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) के भूतपूर्व निदेशक हैं। श्री कमल किशोर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), न्यूयार्क के भूतपूर्व प्रोग्राम एडवाइजर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एन.सी. मरवाह, पीवीएसएम, एवीएसएम (सेवानिवृत्त) चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की एकीकृत रक्षा के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं।

इसके अतिरिक्त, श्री आर. के जैन, सचिव, एनडीएमए को एनडीएमए के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इस प्रकार, वे सदस्य सचिव, एनडीएमए के रूप में कार्य कर रहे हैं।

****